न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—28 / 20 (2020 / 00083) वाद पत्र

अनवान

1. बालुसिंह आत्मज मोहनसिंह राजपूत निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. भंवरसिंह आत्मज देवीसिंह राजपूत निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. अनोपसिंह आत्मज नारायणसिंह राजपूत निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. लालसिंह आत्मज कालुसिंह राजपूत निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. महेन्द्रसिंह आत्मज कालुसिंह राजपूत निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. बहादुरसिंह आत्मज कालुसिंह राजपूत निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. हीमा आत्मज हमीर कलाल निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. गणपत आत्मज खमाण कलाल निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. जीवा आत्मज हजारी गोद पुत्र छोगा कलाल नि. कलालखेड़ी तह. रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादी

वाद पत्र अंतर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक 14.10.2020

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि वादी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 350 रकबा 0.35 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 209 पर स्थित थी। प्रमाण में नकल जमाबन्दी संवत 2071 से 2074 तक साथ प्रस्तुत की है। वादी की उक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी के सीमा सम्बन्धी विवाद होने पर पटवारी हल्का दिनांक 07.12.2019 को पत्थरगढ़ी की गई। उक्त मौके पर्चे में अकिंत किया कि आशिंक सीमा में रास्ता आता है। उक्त पत्थरगढ़ी से वादी संतुष्ट नही होने से पुनः दिनांक 12.02.2020 को पुनः पत्थरगढ़ी हल्का पटवारी व गिरदावर साहब ने वादी एवं प्रतिवादीगण व अन्य की उस्थिति में की गई जिसमें हिदायत दी की कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर कब्जा प्राप्त करे। उक्त दोनो मौका पर्चो की प्रति प्रस्तुत की है। उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी में प्रतिवादीगण का नाजायज कब्जा मौके पर बना हुआ हे व आशिंक भाग पर उक्त प्रतिवादीगण ने अपने ताकत के बल पर रास्ता अपनी अपनी आराजी में जाने हेतु मुझ वादी की आराजी में निकाल रखा है जिसकी जानकारी मुझ वादी को पत्थरगढ़ी कराने पर हुई। उक्त आराजी से वादी ने प्रतिवादीगण को कब्जा हटाने बाबत् कहा गया तो उन्होने मना कर दिया। वादी को जान से मारने की धमकिया दी। अतः सादर प्रार्थना है कि वादी के खातेदारी आराजी संख्या 350 रकबा 0.35 है0 भूमि में प्रतिवादीगण द्वारा किये गये कब्जे से बेदखल किया जाकर प्रतिवादीगण के विरूद्व इस आशय कि स्थाई निषेधाज्ञा फरमावे कि वादी की आराजी पर किसी प्रकार की दंखलदाजी नही करे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.12.19 17:58:32 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को समन जारी किया गया। समन की पालना में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 व 6 लगायत 8 बावजुद सूचना के उपस्थिति नही होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। एवं विपक्षी संख्या 5 के विरूद्व वादी अधिवक्ता द्वारा कोई कार्यवाही नही चाहने से प्रकरण में एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

वादी अधिवक्ता द्वारा दोराने बहस वाद वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए वाद में डिक्री जारी करने का निवेदन किया गया।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उपलब्ध रेकार्ड पर मनन किया तो पाया कि वादी वादवर्णित आराजियात के खातेदार कृषक है जिसमें विपक्षीगणो का राजस्व रेकार्ड में कोई नाम नही है वादी द्वारा प्रकरण में वर्णित आराजियात की पत्थरगढ़ी करायी गई पत्थरगढ़ी के पर्चे मौके में विपक्षीगण का मौके पर कोई कब्जा होने का इन्द्राज नही है। वादी द्वारा धारा 183 के तहत् कब्जा लेने की जो राहत चाही गई है वो प्रमाणित नही होने से इसकी सहायता नही दी जा सकती है। धारा 188 के तहत् वादी का वाद स्वीकार किया जा सकता है। ऐसी स्थिति वादी द्वारा प्रस्तुत वाद आशिंक स्वीकार करते हुए धारा 188 के तहत् डिक्री जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 188 बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम कलालखेड़ी के आराजी नम्बर 350 रकबा 0.35 है0 भूमि मे में किसी प्रकार का दखलदांजी नही करे न अन्य से करावे। वादी को वादवर्णित आराजियात पर शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे। इस आशय की डिक्री जारी हो। पालनार्थ हेतु तहसीलदार रायपुर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 14.10.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14.10.2020

सुन्दरलाल बम्बोडा
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.12.19 17:58:32 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्य 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–28/20 (2020/00083) वाद पत्र

अनवान

1. बालुसिंह आत्मज मोहनसिंह राजपूत निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. भंवरसिंह आत्मज देवीसिंह राजपूत निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. अनोपसिंह आत्मज नारायणसिंह राजपूत निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. लालसिंह आत्मज कालुसिंह राजपूत निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. महेन्द्रसिंह आत्मज कालुसिंह राजपूत निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. बहादुरसिंह आत्मज कालुसिंह राजपूत निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. हीमा आत्मज हमीर कलाल निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. गणपत आत्मज खमाण कलाल निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. जीवा आत्मज हजारी गोद पुत्र छोगा कलाल नि. कलालखेड़ी तह. रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादी

वाद पत्र अंतर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 188 बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम कलालखेड़ी के आराजी नम्बर 350 रकबा 0.35 है0 भूमि मे में किसी प्रकार का दखलदांजी नही करे न अन्य से करावे। वादी को वादवर्णित आराजियात पर शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे।

निर्णय आज दिनांक 14.10.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

14.10.2020

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.12.19 17:58:32 IST
Reason: SelfAttested